में जारी हुए

28/8/24

अधिवक्ता वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1,2 एवं अधिवक्ता अधिकारी सं. 04 के सहायक उपस्थित। अधिवक्ता वादी के आवेदन पत्र बाबत वाद विड्रो करने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में सम्बन्धित आराजीयात के पड़ोस में जो अन्य खातेदारों की जमीन है, उन्होंने विभाजन करा रखा है, जिससे प्रकार से कुछ पहमान कम किए जाते हैं एवं कुछ पहमान नए बनाये जाते हैं अतः वादीगण के नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र विड्रो में खारीज किए जाने के आदेश फरमावें। प्रा. पत्र शामिल मिसल किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर मनन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर वादीगण को नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र विड्रो में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)